



2026-AHC:126703

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2972/2026

एक्स किशोर

पुनरीक्षणवादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

प्रतिपक्षीगण

पुनरीक्षणवादीगण के अधिवक्ता : आदित्य त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7.

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो न्यायालय संख्या 1, देवरिया द्वारा प्रथम आपराधिक अपील संख्या 19/2026 में दिनांक 04.04.2026 को पारित आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, देवरिया द्वारा जमानत आवेदन संख्या 22/2026 में दिनांक 20.2.2026 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जो कि अपराध संख्या 104/2025 से संबंधित है, जिसमें बीएनएस की धारा 191(2), 115(2),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



352, 126(2), 281, 109(1) के तहत, सलेमपुर पुलिस थाना जिला देवरिया में दर्ज है। यह याचिका दायर कि गई है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 17 वर्ष 5 माह और 14 दिन का किशोर था; वह 06.10.2025 से जेल में है;

(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डी.पी.ओ. की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(v) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vi) घायल व्यक्तियों को लगी तीन चोटें मामूली प्रकृति की हैं। कोई एक्स-रे रिपोर्ट नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि चोटें गंभीर थीं।

(vii) पुनरीक्षणकर्ता के सह-आरोपी, जो बालिग है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 1.8.2025, 22.08.2025, 4.9.2025, 8.9.2025 और 14.10.2025 के आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या(ओं) में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। 26480/2025 (ध्रुव कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), 28507/2025 (सेराज अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), 7235/2025 (अभिनेश यादव उर्फ अभिनाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), 29833/2025 (पीयूष दुबे उर्फ अश्विनी दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), 31367/2025 (कुंदन यादव उर्फ अंकित यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), क्रमशः।

(viii) याचिकाकर्ता अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में बंद रहा है;

(ix) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(x) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत बताकर चुनौती दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य के अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क है कि बताई गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी'।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपीलीय न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:-

- (i) क्या रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना है, या
- (ii) क्या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) क्या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी?

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि आवेदक घटना की तिथि पर नाबालिग था; डीपीओ के अवलोकन के आलोक में, वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहरा सके। आवेदक की माता उसकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहाई पर उसकी सुरक्षा और कल्याण के संबंध में अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देती है।

उपर्युक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। फलस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। विवादित आदेशों को **निरस्त किया जाता है।**

उपर्युक्त टिप्पणियों के मददेनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के लिए अभियोक्ता 'एक्स' किशोर, जिसकी प्राकृतिक अभिभावक (माता) सीमा देवी हैं, को 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
- (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।/269 बीएनएसएस रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

10 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।